# Continuation Note Sheet

19-8-25 पत्रावली पेश हुई। वाद वादी द्वारा
प्रस्तुत स्वीकार किया जाकर निर्णय
मुताबिक प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर पत्रावली किया
पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली में स्थायी ड्यूटी पेश होने पर
डिक्री पर्चा जारी किया जाये। पत्रावली बाद तामील
से काम होकर बाद तकमील जाकर दाखिल
अभिलेखागार हो। Gautam

21-8-25 वकील वादी द्वारा स्थायी ड्यूटी पेश करके
पर पत्रावली पेश हुई। स्थायी ड्यूटी पेश करने [illegible]
की गई। डिक्री पर्चा जारी किया जाकर
पत्रावली से काम होकर बाद तकमील जाकर
दाखिल अभिलेखागार हो। Gautam

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 150 / 2024

1. आरती बंसल पत्नी श्री आशीष बंसल जाति अग्रवाल निवासी 2138 अग्रसेननगर सैकिण्ड स्कीम, श्रीगंगानगर ।
2. योगेश गोयल पुत्र श्री पुरूषोतम गोयल जाति अग्रवाल निवासी 1–डी–10, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर ।

––वादीगण

बनाम

1. निर्मला पत्नी श्री जनकलाल जाति अग्रवाल निवासी ई–6 अग्रसेननगर, श्रीगंगानगर ।
2. नीतू नागपाल पत्नी श्री अजय नागपाल उर्फ सोनू नागपाल जाति अरोड़ा निवासी एल ब्लॉक, वॉर्ड नम्बर 28, श्रीगंगानगर ।
3. राकेश गोदारा पुत्र श्री राधेराम जाति जाट निवासी वॉर्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
4. सुभाष गोदारा पुत्र श्री राधेराम जाति जाट निवासी वॉर्ड नम्बर 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
5. सतीश कुमार लीला पुत्र श्री बृजमोहन लीला जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
6. हरिन्द्र सिंह कालड़ा पुत्र श्री नानक सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 69 बैंक कॉलोनी, श्रीगंगानगर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

–– प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री दिनेश छाबड़ा | वादीगण |
| 2. | श्री बी.डी. उपाध्याय | प्रतिवादी संख्या 1, |
| 3. | श्री विकम बिश्नोई | प्रतिवादी संख्या 3 व 4, |
| 4. | श्री मुददीत नागपाल | प्रतिवादी संख्या 2 |
| 5. | पैरोकार राज श्रीगंगानगर | प्रतिवादी संख्या 7 |

प्रतिवादी संख्या 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

# –:: निर्णय ::–

**दिनांक :– 19.08.2025**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 ई छोटी, पटवार हल्का 4 एम. एल. भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/111, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 13/3 में 0.0054 है. नहरी, किला नम्बर 13/4 में 0.0227 है. नहरी, किला नम्बर 14/6 में 0.0043 है. नहरी, किला नम्बर 14/9 में 0.1768 है. नहरी, किला नम्बर 15/2 में 0.2520 है. नहरी, किला नम्बर 16/3 में 0.0940 है. नहरी एवं किला नम्बर 17/5 में 0.0394 है. नहरी तादादी कुल 0.5946 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि मुताविक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है । उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 ई छोटी का खाता संख्या 123/111, मुरब्बा नम्बर 30 में कुल 0.5946 हैक्टेयर नहरी में से वादिया संख्या 1 के नाम से 119/3964 हिस्सा अर्थात 0.01785 है. नहरी एवं वादी संख्या 2 के नाम से भी 119/3964 हिस्सा अर्थात 0.01785 है. नहरी अर्थात दोनो वादीगण के नाम से कुल 0.0357 हैक्टेयर हिस्सा संयुक्त खाता में रिकॉर्ड में दर्ज है। वादाधीन कृषि भूमि का आज दिनांक तक विधिवत विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है लेकिन मौका पर वादीगण संयुक्त रूप से विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर पर काबिज है एवं अन्य सहकाश्तकारान भी अपने अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि पर काबिज है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य वादाधीन कृषि भूमि संयुक्त दर्ज होने के कारण भूमि की सार संभाल करने, राज्य सरकार की कृषि भूमि पर दी गयी सुविधाओं का उपयोग उपभोग करने उपभोग में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को कई मरतबा निवेदन किया कि संयुक्त खाता की वादाधीन कृषि भूमि का मौका पर अपने अपने कब्जा अनुसार, जो कि अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का परस्पर हो चुका है, विधिवत विभाजन रिकॉर्ड में करवाकर अपने अपने कब्जा में आयी भूमि पर अधिष्ठित हो जायें, पृथक पृथक जमाबन्दी बनवाकर लगान का पृथक पृथक निर्धारण करवाकर अलग अलग जमाबन्दी तैयार करवा लेवें जिससे कि अपने अपने हिस्सा की भूमि की सार संभाल करने में सहूलियत रहे । प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 पूर्व में ऐसा करने से टालमटोल करते रहे तथा अन्तत: दिनांक 18.08.2024 को संयुक्त खाता की वादाधीन कृषि भूमि का विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार [illegible] जिस पर वादीगण को मौजूदा वाद विभाजन का प्रस्तुत [illegible] हुआ है। प्रतिवादी संख्या 7 को निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या [illegible] के द्वारा माननीय न्यायालय से विधिवत विभाजन करने का आदेश लाने का कहे जाने पर प्रतिवादी संख्या 7 के खिलाफ वादीगण को वाद हेतूक हासिल हुआ है। वाद वादीगण विभाजन का प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

किया जा रहा है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। वाद वादीगण वाद हेतूक उत्पन्न होने की दिनांक से अन्दर मियाद एक रूपये के उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । लिहाजा वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

क. कि प्रारम्भिक डिक्री विभाजन बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 ई छोटी, पटवार हल्का 4 एम. एल. भू. अ.नि.क्षेत्र श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123 / 111, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 13 / 3 में 0.0054 है. नहरी, किला नम्बर 13 / 4 में 0.0227 है. नहरी, किला नम्बर 14 / 6 में 0.0043 है. नहरी, किला नम्बर 14 / 9 में 0.1768 है. नहरी, किला नम्बर 15 / 2 में 0.2520 है. नहरी, किला नम्बर 16 / 3 में 0.0940 है. नहरी एवं किला नम्बर 17 / 5 में 0.0394 है. नहरी तादादी कुल 0.5946 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि के सन्दर्भ में पारित की जावे ।

ख. कि प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के उपरान्त तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौका पर कब्जा अनुसार एवं हिस्सानुसार भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर राजस्थान काश्तकारी नियमों के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाकर अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे एवं अलग अलग जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावे।

ग. अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद वादीगण हो अतः फरमायी जावे ।

घ. वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

**वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3, 4 के द्वारा इकाबालिया जवाब पेश किया गया। जवाब दावा में अंकित तथ्यानुसार** वाद में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उनके हिस्सानुसार अंकन होना स्वीकार है। संयुक्त खाता में प्रतिवादीगण संख्या 3 राकेश गोदारा के नाम से 2551 / 5946 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 सुभाष गोदारा के नाम से 2551 / 5946 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार है भूमि मुश्तरका दर्ज होना स्वीकार है एवं प्रत्येक सहकाश्तकार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त है । मद संख्या 5 वाद पत्र में अंकित तथ्यों के जवाब में निवेदन है कि प्रतिवादीगण भूमि का विभाजन करवाने हेतू तैयार व तत्पर है। यदि सहकाश्तकारान के हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतू प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । लिहाजा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण के हितों को मध्यनजर र[illegible]द आज्ञाप्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री विभाजन की जारी कर विभाजन [illegible] जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है ।

**प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बंद किया गया।**

**पैरोकार राज द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



Scanned with OKEN Scanner

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया जा चुका है। प्रकरण में वादीगण द्वारा खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद का निर्णय किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2072—2075 चक 6 ई छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, भू.अ.नि.क्षेत्र. श्रीगंगानगर, खाता संख्या 123/111 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने एवम् वादीगण अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4834 दिनांक 04.07.2025 के प्रस्ताव पेश किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

## ।। आदेश ।।

**वाद वादीगण मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :—**

| क.सं. | खातेदार | रकबा का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आरती बंसल पत्नी आशीष बंसल जाति अग्रवाल निवासी 138 अग्रसेन नगर सेकिण्ड स्कीम श्रीगंगानगर योगेश गोयल पुत्र पुरूषोतम गोयल जाति अग्रवाल निवासी 1 डी 10 जवाहर नगर श्रीगंगानगर ब.हि. ब. | चक 6 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 123/111 के मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 15/2(0.252 हैक. में से 0.005 हैक.), 16/3(0.094 हैक. में से 0.0247हैक.), 17/5(0.0394 हैक. में से 0.006 हैक्टर), कुल 0.0357 हैक्टर नहरी |
| 2 | निर्मला पत्नी जनक लाल जाति अग्रवाल निवासी ई—6 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर 0.0111 हैक्टर, नीतू नागपाल पत्नी अजय नागपाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 28 श्रीगंगानगर 0.0077 हैक्टर, राकेश गोदारा पुत्र राधेश्याम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 16 पु.आ. श्रीगंगानगर 0.2551 हैक्टर, सतीश कुमार लीला पुत्र बृजमोहन लीला जाति अग्रवाल निवासी लीला चौक | चक 6 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 123/111 के मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 13/3(0.0054 हैक.), 13/4 (0.0227 हैक.), 14/6(0.0043 हैक.), 14/9(.1768), 15/2(0.252 हैक. में से 0.247 हैक.), 16/3(0.094 हैक. में से 0.0693हैक.), 17/5(0.0394 हैक. में से 0.334 हैक्टर), कुल [illegible] हैक्टर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0.0130 हैक्टर, सुभाष गोदारा पुत्र राधेश्याम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 16 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0.2551 हैक्टर, हरिन्द्र सिंह कालड़ा पुत्र नानक सिंह जाति अरोड़ा निवासी 69 बैंक कॉलोनी श्रीगंगानगर 0.169 हैक. | |

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.08.2025 को जारी किया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner